न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी , सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–हरि राम मीना ,आर.ए.एस.

अपील संख्याः–66 / 2021, (225 आर.टी.एक्ट)
आर.सी.एम.एस .संख्याः–2021 / 93

राजस्व अपील प्राधिकारी सत्यमेव जयते सवाई माधोपुर

उनवान

1. रामकेश पुत्र स्वर्गीय बद्री जाति मीना निवासी पीलोदापुरा तहसील सपोटरा जिला करौली।
2. प्रकाश पुत्र स्वर्गीय बद्री जाति मीना निवासी पीलोदापुरा तहसील सपोटरा जिला करौली ।

अपीलान्टस् / अप्रार्थीगण

बनाम

1. कमलेश पुत्र रामसहाय जाति मीना निवासी पीलोदापुरा तहसील सपोटरा जिला करौली ।
2. कैलाशी पत्नी रामसहाय जाति मीना निवासी पीलोदापुरा तहसील सपोटरा जिला करौली।

रेस्पोडेन्टस् / प्रार्थीगण

उपस्थितः–

1. श्री रिषिराम् मीना अभिभाषक अपीलांट
2. श्री मगनलाल मीना अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

::: निर्णय :::

दिनांकः– 17.10.2022

यह अपील मातहत अदालत उपखण्ड़ अधिकारी तहसील सपोटरा जिला करौली में दायर राजस्व वाद संख्या 38 / 20 बउनवान कमलेश वगैरहा बनाम रामकेश वगैरहा में पारित निर्णय दिनांक 15.09.21 के विरुद्ध अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई है।

62

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.13 13:08:45 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अदालत मातहत उपखण्ड़ अधिकारी सपोटरा जिला करौली में रेस्पोडेन्टस्/प्रार्थीगण द्वारा खातेदारी दुरुस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का अन्तर्गत धारा 88,188,207 का पार्थना पत्र बाबत् आराजी खसरा नं0 963 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नं0 964 रकबा 01 बिस्वा, खसरा नं0 965 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं0 973 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नं0 974 रकबा 01 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नं0 975 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नं0 976 रकबा 04 बिस्वा, खसरा नं0 977 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नं0 980 रकबा 05 बीघा, खसरा नं0 990 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नं0 991 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नं0 992 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नं0 1019 रकबा 03 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नं0 1036 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नं0 1037 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नं0 1038 रकबा 08 बिस्वा कुल किता 16 कुल रकबा 23 बीघा 04 बिस्वा, एवं खसरा नं0 967 रकबा 01 बीघा , खसरा नं0 968 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नं0 1058 रकबा 03 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम पीलोदापुरा, आराजी खसरा नं0 1063 रकबा 01 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नं0 1073 रकबा 02 बीघा 02 बिस्वा वाके ग्राम ईनायती तहसील सपोटरा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की पुश्तैनी खातेदारी की भूमि है। उक्त आराजीयात जागीरदारों के समय से चली आ रही है तथा स्वर्जित सम्पत्ति नही है। प्रार्थी के बाबा बद्री की दो शादी हुई है। पहली पत्नि धापा गांव गोठरा की थी एवं दूसरी पत्नि सुगनी नाम की थी,जो कि पीतूपुरा गांव की थी। पहली पत्नि से एक पुत्र रामसहाय हुआ तथा दूसरी पत्नि सुगनी के चार सन्तान रामकेश, प्रकाश, सुशीला एवं सुनीता है। रामकेश अपने नाना के ग्राम पीतूपुरा में बाल्यावस्था मे सुलिया पुत्र हरदेव के यहां गोद चला गया। और करीब 40 वर्ष से ग्राम पीतूपुरा मे अपने दत्तक पिता सुलिया के यहां पुत्र के रुप निरन्तर रहता चला आ रहा है। रामकेश ने नाजायज फायदा उठाकर तथा फर्जीकारी करके अपने असली पिता की सम्पत्ति को रामकेश व रामकेश का भाई प्रकाश ने दिनांक 17.04.02013 को अपने नाम वयनामा तस्दीक करा लिया गया, वयनामा के आधार पर रामकेश व प्रकाश अपने बाप की सम्पत्ति को हड़पने पर आमादा है जबकि रामकेश सुलिया पुत्र हरदेव के यहॉ गोद जाने के बाद सुलिया की चल व अचल सम्पत्ति पर काबिज है और अपने बाप की सम्पत्ति पर काबिज होना कानून के विरुद्व है एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के खिलाफ है। प्रार्थीगण का बाबाव [illegible] अनपढ़ एवं सीधा होने के कारण फर्जकारी करके वयनामा करा लिये गये [illegible]नामा के आधार पर नामान्तरकरण खुलवाने पर आमादा है। मौके [illegible] बराबर है तथा अपने हिस्सेनुसार काबिज काश्त है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.13 13:08:45 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

रामकेश अपने असली पिता की संपति को पंजीबद्व वसनामा के आधार पर हड़पना चाहता है । इसलिए रेस्पोडेन्टस्/प्रार्थीगण ने अपीलान्टस्/अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया गया।

मातहत अदालत द्वारा दिनांके 15.09.2021 वादीगण का वाद आंशिक स्वीकार किया जाकर इस प्रकार किया गया कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे संयुक्त खातेदारी की भूमि ग्राम पीलोदापुरा तहसील सपोटरा 963, 964, 965, 973, 974, 975, 976 ,977, 980 ,990, 991 ,992 ,1019 ,1036, 1037, 1038 के मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थीगण के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं करे तथा आराजी खसरा नं0 967, 968, 1025, 1058 मे चाहे गये अस्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष को खारिज किया जाता हैं। मातहत अदालत के उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा में मियाद अन्दर प्रस्तुत की गई हैं।

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि मातहत अदालत द्वारा पारित निर्णय रुयेदाद मिसल एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं तथ्यों परे जाकर पारित किया गया है । अपीलान्ट की उक्त आराजीयात दिनांक 17.04.2013 को खसरा नं0 963, 974, 975, 990, 991 व 1058 के 1/6 हिस्से का तथा खसरा नं0 967 व 968 के सम्पूर्ण हिस्से का बैनामा अपीलान्टास् नं0 1 व 2 के हक में बद्री द्वारा कराया गया उक्त विकय पत्र पंजीकृत विकय पत्र है तथा बिना रजिस्ट्री केन्सिल हुये उक्त वाद पत्र ही मेन्टेबल नही है इसी के साथ यह भी अंकन किया गया था कि पूर्व में रेस्पोडेन्टस्/प्रार्थीगण के पिता रामसहाय द्वारा एक वाद पत्र पूर्व में प्रस्तुत्त हुआ जिसे दिनांक 19.10.2016 को खारिज किया जा चुका है तो पुनः रामसहाय के पुत्रों के द्वारा वाद पत्र स्थापित करना भी कानून के खिलाफ है जब दावा ही मेन्टेबल नही है तो दावे के साथ प्रस्तुत टी. आई. में किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के रेस्पोडेन्टस् अधिकारी नही है इस बात पर गोर किये बिना उपरोक्त अपीलाधीन निर्णय खिलाफ कानून जाकर किया गया है।

अपील में आगे अंकन है कि जमाबन्दी वर्ष 2072 वाके ग्राम पीलादोपुरा के खाता 90 में दर्ज भूमि का बद्री पुत्र हीरा 1/6 हिस्से का नामान्तरण संख्या 229 दिनांक 22.12.2015 से बद्री का 1/6 हिस्सा अपीलान्टस् के नाम दर्ज हो चुका है इसी के साथ पत्रावली में उपस्थित अन्य दस्तावेज ... टी. आई. के निर्णय में वर्णित आराजी अपीलान्टस् की सहखातेदारी की भूमि ... भी माननीय तहत न्यायालय ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.13 13:08:45 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर सिविल कोर्ट द्वारा दी जाने वाली रिलीफ को अपनी अदालत से दिया जाना मानकर उपरोक्त अपीलाधीन निर्णय खिलाफ कानून जाकर पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टस् को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा दौरान मुख्य बहस अपील के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया गया कि पूर्व वर्णित विवादित आराजीयात को रामकेश द्वारा जरिये पंजीबद्व वयनामा दिनांक 22.06.06 से अपने असली पिता बद्री के हिस्से अनुसार क्रय किया गया है। दत्तक से संबधित कोई भी दस्तावेज पत्रावली में उपलब्ध नही है। इस संदर्भ में रामसहाय द्वारा एक वाद पूर्व में अदालत मातहत में विचारण किया था अतः नया वाद लेने का हक नही रखता है। अदालत मातहत को पंजीबद्व वयनामा को निरस्त करने का अधिकार नही है। विवादित आराजीयात पर अपीलांटस् का कब्जा काश्त है, अपीलांटस्/अप्रार्थीगण रेकार्डेड खातेदार है। रेकार्डेड खातेदार के विरुद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। अदालत मातहत द्वारा बिना कोई कानुनी नियमों के गलत रुप से अपीलांट को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया है। इसलिए अपील स्वीकार कर अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त फरमाया जावें।

जवाब बहस में अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट का कथन है कि विवादित आराजीयात स्वर्जित सम्पत्ति नही है बल्कि पुश्तैनी सम्पत्ति है अप्रार्थीगण के बाबा बद्री की दो पत्नी थी, जिसमें पहली पत्नि धापा से एक पुत्र रामसहाय हुआ तथा दूसरी पत्नि सुगनी के चार सन्तान रामकेश, प्रकाश, सुशीला एवं सुनीता हूए। रामकेश बचपन में ही अपने नाना के ग्राम पीतूपुरा मे सुलिया पुत्र हरदेव के यहा गोद चला गया। दत्तक पुत्र अपने असली पिता की सम्पति में कोई अधिकार नहीं रखता है। परन्तु रामकेश द्वारा फर्जीकारी कर विवादित आराजीयात मे से स्वयं के हिस्से का पंजीबद्व वयनामा करवा लिया। यह तथ्य तो मुल वाद में तय होगें कि **गोद** प्रमणित है या नही ? रामकेश व प्रकाश बाप की सम्पत्ति में से व गोद की सम्पत्ति में से दोहरा लाभ लेना चाहते है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा दृष्टान्त आरआरडी 20[illegible] पेज [illegible]0 आरआरडी 2011 पेज 563 पश किया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.13 13:08:45 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दृष्टान्त का ससम्मान अवलोकन किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से जाहिर आया कि जमाबन्दी सम्वत् 2072 वाके ग्राम पीलोदापुरा तहसील सपोटरा में विवादित आराजीयात खसरा नं0 963, 974, 975, 991, 990, 1058 में विक्रेता बद्री पुत्र हीरा का 1/6 हिस्सा व खसरा नं0 967, 968 का सम्पूर्ण हिस्सा का अंकन है। क्रेता रामकेश द्वारा जरिये पंजियन बयनामा द्वारा उक्त विवादित आराजीयात दिनांक 17.04.13 द्वारा कय की गई है। पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नही है कि रामकेश सुलिया का दत्तक पुत्र है ।

रामकेश दत्तक पुत्र है या नही इस तथ्य का निर्धारण मूल वाद में ही साक्ष्य के आधार होगा, और इस आधार पर यह भी निर्धारित होगा कि क्या बद्री पुत्र हीरा द्वारा रामकेश का विवादित आराजीयात विक्रय किया गया वह किस हिस्से तक वैध है ? राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 212 में प्रथम दृष्टया यह देखा जाना है कि प्रकरण प्रथम दृष्टया, सुविधा का संतुलन व अपुरणीय क्षति किसके पक्ष में है।

अदालत मातहत की पत्रावली प्रार्थना पत्र बाबत् अन्तर्गत धारा 212 के जिम्मन के अनुसार जो सजरा प्रस्तुत किया गया है उसके अनुसार प्रकरण पारिवारिक विवाद का होना पाया जाता है। जब विवाद पारिवारिक मामलों से संबंधित है तो रेकार्डेड के विरुद्व भी न्यायालय द्वारा अन्तरिम स्थगन जारी किया जा सकता है । न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वाद जब अंतिम डिक्री पारित होने के स्तर पर हो, और वाद सम्पत्ति की प्रकृति के बदलने की संभावना तथा वादो की बहुलता की संभावना हो तो वाद ग्रस्त आराजीयात को यथावत् रखना न्यायोचित है। इस कारण अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दृष्टान्त चस्पा नही होते है।

इस संदर्भ मे माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा दृष्टान्त **2018(2) आर.आर.टी. 1370** में निम्न सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है, जो कि प्रकार है :

Rajasthan Tenancy Act, 1955-Sec. 212- Interim stay order was confirmed till the decision of the case after hearing the parties- RAA set aside the order suit is at the stage of passing final decree-Nature of the suit property is likely to be changed and multiplicity of litigation is also possible-held, Revenue Appellate Authority was not justified in setting aside the order-order set aside and status quo be maintained in record and at the site.

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.13 13:08:45 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

बउनवान रामकेश वगैरहा बनाम कमलेश वगैरहा
अपील संख्या 66/2021

इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी दृष्टान्त **2018(1) आर.आर.टी. 156** में भी यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है जो कि इस प्रकार है:

Code fo Civil Procedure, 1908-Order 39, Rule 1 & 2-Temporary injunction-Application dismissed-High Court set aside the orders granted interim order-Dispute of agricultural land-Order of maintaining status quo till the disposal of the suit is a reasonable order-Held Order is justified.

यही तथ्य अदालत मातहत द्वारा अपने निर्णय दिनांक 15.09.21 मुकदमा नंबर 38/20 में अंकन किया है। जो विधि अनुसार है। अदालत मातहत के आलोच्य निर्णय में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना विधिसंगत् नही है।

अतः उपर्युक्त के विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अदालत मातहत के निर्णय दिनांक 15.09.21 को यथावत रखा जाता है । खर्चा फरीकेन वहन करे । निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 17.10.22 को सुनाया गया।

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.13 13:08:45 IST
Reason: SelfAttested